कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

अपील संख्याः–17/2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री निर्मल पुत्र पूनमचंद बंसल वीपीओ छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, भादरा।

––प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः–02.05.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, भादरा के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई हैं।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा से पत्र कमांक 726 दिनांक 19.4.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी, भादरा के पत्र क्रमांक 726 दिनांक 19.04.2019 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी, भादरा द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने से अवगत करवाया गया है। उपखण्ड अधिकारी भादरा के उक्त पत्र कमांक 726 दिनांक 19.04.2019 का अवलोकन करने से उक्त पत्र से यह स्पष्ट नही होता है कि उपखण्ड अधिकारी भादरा द्वारा किस पत्र कमांक से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई गई है। अतः उपखण्ड अधिकारी, भादरा को निर्देश दिये जाते है कि आप द्वारा किस पत्र से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई उसकी प्रति तथा उक्त पत्र कमांक 726 दिनाक 19.04.2019 की प्रतिलिपि अपने स्तर पर आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिवस में अपीलार्थी को अलग से सूचनार्थ प्रेषित की जावे। अतः अपीलार्थी की वर्तमान अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official